

UPRN180009222022



न्यायालय सिविल जज (जू०डि० ) घाटमपुर, कानपुर देहात ।

सर्जन सिंह

बनाम

शैलेन्द्र कुमार सचान आदि ।

वाद सं०-48/2022

दिनांक 04-05-2022

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थना पत्र 8 ग 2 मय शपथपत्र 9 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सूची 10 ग के साथ दाखिल प्रपत्रों का मय पत्रावली सम्यक अवलोकन किया । प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है ।

प्रथम दृष्टया मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र 8 ग 2 पर सुनवायी का सम्यक अवसर दिये हुए एक पक्षीय रूपसे वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का व्यादेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो । आपत्ति आमंत्रित हो ।

वाद वास्ते आपत्ति /निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग 2 हेतु दिनांक 04-07-2022 को पेश हो ।

वादी उभय भांति पैरवी करे ।

(प्रणव त्रिपाठी)

सिविल जज (जू०डि०)

घाटमपुर, कानपुर देहात ।

J.O.Code-UP02425